

W.P.26
4/9/12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(CIVIL WRIT JURISDICTION CASE)

C. W.J.C.NO. _____/OF 2012.

Kameshwar Singh.....PETITIONER.

VERSUS

The State of Bihar and othersRESPONDENTS

SYNOPSIS.

RELIEFS :- Commanding and directing the Respondent Authorities to pay the arrears of salary from September, 2008 till the date of his retirement i.e. on 31.07.2012 to the petitioner with statutory as well as penal interest.

FACTS OF THE CASE :

<u>SL.NO.</u>	<u>DATE</u>	<u>EVENTS</u>
01.	03.03.1978	: The petitioner was initially appointed as a Market Supervisor in the erstwhile Bihar State Agriculture Marketing Board .
02.	2008	: The State Government had taken a decision to resolve the Bihar State Marketing Board and also taken a decision that to take its employees in the Department of the State.
03.	02.09.2008	: The Personnel and Administrative Reforms Department handed over the services of the petitioner to the Panchayati Raj Department.
04.		: The Panchayati Raj Department posted the petitioner in the office of the District Panchayat Raj Officer, Madhepura.

-II-

05. 31.03.2009 : The District Magistrate , Madhepura posted the petitioner as the Panchayat Secretary in Udakishangaj Block .
06. 03.04.2009 (ANNE-1) : The petitioner submitted his joining before the Block Development Officer , Udakishanganj.
07. 14.03.2011 (ANNE-2) : The Panchayat Raj Department directed all the District Magistrate to pay the salary to those employees who had come from the erstwhile Bihar State Agriculture Marketing Board as per the Last Payment Certificate given by the erstwhile Bihar State Agriculture Marketing Board.
08. 25.08.2011 (ANNE-3) : The District Magistrate ,Madhepura directed the Sub-Divisional Officer , Udakishanganj as also the concerned Block Development Officers to ensure the payment of arrears of salary to the employees who had come from the erstwhile Bihar State Marketing Board.
09. 17.10.2011 (ANNE-4) : The Panchayati Raj Department relieved the petitioner for his joining to the Agriculture Department.
10. 26.11.2011(ANNE-5) :After relieving the petitioner submitted his joining before the Joint Director ,Agriculture Department , Koshi Division , Saharsa.
11. :The Joint Director , Koshi Division , Saharsa posted the petitioner as Head Clerk in the office of Project Executive Officer, Rupauli Block ,District – Purnea .
12. 19.12.2011 : The petitioner submitted his joining in the office of Project Executive Officer, Rupauli.

-III-

13. :Since September, 2008 , no single farthing was paid to the petitioner either by the Panchayati Raj or Agriculture Department.
14. ANNEXURE- 6 series :The petitioner filed series of representation before the Block Development Officer , Udakishanganj for payment of his salary.
15. 24.07.2012 (ANNE-7): The petitioner also filed representation before the District Magistrate , Madhepura requesting therein for release of his salary.
16. 31.07.2012 :The petitioner retired from his service.
17. 25.08.2012 (ANNE-8 & 8/1) :The petitioner also filed representation before the Principal Secretary , Panchayati Raj Department and Agriculture Department for release of his arrears of salary but till date nothing could be resulted .

HENCE THIS WRIT APPLICATION.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(CIVIL WRIT JURISDICTION CASE)

C.W.J.C.NO. _____ /OF 2012.

Kameshwar Singh.....PETITIONER.

VERSUS

The State of Bihar and othersRESPONDENTS

SUBJECT :- *payment of Sealeary*

INDEX

Sl. No.		PARTICULARS	PAGE NOS.
01.		An application under Article 226 of the Constitution of India with Affidavit	1 to 14
02.	ANNEXURE- 1	A true photo stat copy of the joining letter dated 03.04.2009	15
03.	ANNEXURE- 2	A true photo stat copy of the letter no.1733 dated 14.03.2011	16
04.	ANNEXURE- 3	A true photo stat copy of the letter no.1981 dated 25.08.2011	17
05.	ANNEXURE- 4	A true photo stat copy of the letter no.7157 dated 17.10.2011	18
06.	ANNEXURE- 5	A true photo stat copy of the joining letter dated 26.11.2011	19
07.	ANNEXURE- 6 series	True photo stat copies of the representations dated 02.10.2011, 10.11.2011 and 27.02.2012	20-22
08.	ANNEXURE- 7	A true photo stat copy of the representation dated 24.07.2012	23-24
09.	ANNEXURE- 8 & 8/1	True photo stat copies of the representations dated 25. 08.2012 filed representation before the Principal Secretary ,Panchayati Raj Department and Agriculture Department	25/26
10.		VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(CIVIL WRIT JURISDICTION CASE)

C.W.J.C.NO. _____ /OF 2012.

In the matter of an application
Under Article 226 of the constitution
of India;

A N D

In the matter of :-

Kameshwar Singh , son of Late Yadubir Singh ,
Resident of village- Afaur East Tola , P.O. Afaur , P.S. Khaira, District –
Saran at Chapra , the retired Head Clerk from the office of Project
Executive Officer, Rupauli , Block – Rupauli ,District – Purnea.

.....**PETITIONER.**

VERSUS.

1. The State of Bihar through the Chief Secretary ,
Government of Bihar, Old Secretariat, Patna.
2. The Principal Secretary ,
Agriculture Department , Government of Bihar, Patna.
3. The Director ,
Agriculture Department , Government of Bihar, Patna.

4. The Joint Director ,
Agriculture Department , Koshi Division , Saharsa.
5. The District Agriculture Officer, Purnea,
District - Purnea.
6. The Project Executive Officer, Rupauli Block,
District - Purnea.
7. The Principal Secretary ,
Panchayati Raj Department , Government of Bihar , Patna.
8. The Director,
Panchayati Raj Department , Government of Bihar, Patna.
9. The Joint Director -cum- Joint Secretary ,
Panchayati Raj Department , Government of Bihar, Patna.
10. The District Magistrate , Madhepura,
District - Madhepura .
11. The District Panchayat Raj Officer, Madhepura ,
District - Madhepura.
12. The Sub-Divisional Officer , Udakishangaj ,
District - Madhepura.
13. The Block Development Officer , Udakishanganj,
District - Madhepura.

.....RESPONDENTS.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit , the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and Her Lordships Companion Justices of the said Hon'ble High Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named;

MOST RESPECTFULLY SHEWETH

1. That this writ application on behalf of the petitioner above named is for the following

RELIEFS

- (I) For issuance of an appropriate writ in the nature of **MANDAMUS** , commanding and directing the Respondent Authorities to pay the arrears of salary from September, 2008 till the date of his retirement i.e. on 31.07.2012 to the petitioner with statutory as well as penal interest.
- (II) For issuance of any other appropriate writ/writs ,order /orders, direction/directions for which the writ petitioner shall be found entitled under the facts and circumstances of the case.

2. That, the substantial question of law involved in the Present writ application are as follows :-

- (I) WHETHER , the action of the Respondent Authorities is illegal , arbitrary ,malafide, unreasonable, unconstitutional, and untenable in law ?
- (II) WHETHER , the Respondent Authorities is justified to withhold the salary of the petitioner without assigning any reason or justification for such a long time ?
- (III) WHETHER , the Respondent Authorities are justified to withhold the salary of the petitioner though the petitioner was discharging his duties as assigned by the Respondents satisfactorily ?
- (IV) WHETHER , the Respondent Authorities are not bound to pay the interest over the arrears of salary since the petitioner is mitigating his livelihood of his family after taking loan on interest ?
- (V) WHETHER, the action of the Respondent Authorities are otherwise bad in law ?

3. That, the petitioner is a citizen of India resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble High Court.

4. That, the petitioner was initially appointed as a Market Supervisor in the year 1978 in the erstwhile Bihar State Agriculture Marketing Board and pursuant thereto the petitioner submitted his joining on 03.03.1978.

5. That, it is stated that since the date of his initial appointment ,the petitioner was discharging his duties with the best of his capacities and to the full satisfaction of the Authorities concerned and the service records of the petitioner was throughout satisfactory .

6. That, it is stated that in the entire service career ,the petitioner has never visited any departmental or judicial proceeding initiated against him .

7. That, it is stated that while the petitioner was working in the erstwhile Bihar State Agriculture Marketing Board ,the State Government had taken a decision to resolve the Bihar State Marketing Board and also taken a decision that to take its employees in the Department of the State .

8. That, it is stated that under the notification of the Personnel and Administrative Reforms Department (now the General Administration Department) contained in Resolution no.5661 dated 02.09.2008 , the services of the petitioner was handed over to the Panchayati Raj Department.

9. That, it is stated that pursuant to the aforesaid Resolution no.5661 dated 02.09.2008 of the Personnel and Administrative Reforms Department , the petitioner submitted his joining in the Head Office of the Panchayati Raj Department just after issuance of the notification .

10. That, it is stated that thereafter the Panchayati Raj Department posted the petitioner in the office of the District Panchayat Raj Officer ,

Madhepura and pursuant the said posting order, the petitioner submitted his joining in the office of the District Panchayat Raj Officer, Madhepura.

11. That, it is stated that thereafter the District Magistrate , Madhepura posted the petitioner as the Panchayat Secretary in Udakishangaj Block vide office order no.123 dated 31.03.2009.

12. That, it is stated that pursuant to the said posting order issued by the District Magistrate , Madhepura, the petitioner submitted his joining before the Block Development Officer , Udakishanganj on 03.04.2009 ,which was duly accepted by the Block Development Officer , Udakishangaj.

A true photo stat copy of the joining letter dated 03.04.2009 is annexed herewith and marked as ANNEXURE- "1" for identification forming part of this writ application.

13. That, it is stated that since 03.04.2009 ,the petitioner was discharging his duties as Panchayat Secretary in Udakishanganj Block with the best of his capacities and to the full satisfaction of the Authorities concerned but no single farthing was paid to the petitioner as his salary.

14. That, it is stated that the Panchayati Raj Department issued a letter under letter no.1733 dated 14.03.2011 issued under the signature of the Joint Director ,whereby and where under the Panchayati Raj Department

issued instruction to all the District Magistrate to pay the salary to those employees who had come from the erstwhile Bihar State Agriculture Marketing Board as per the Last Payment Certificate given by the erstwhile Bihar State Agriculture Marketing Board.

A true photo stat copy of the letter no.1733 dated 14.03.2011 is annexed herewith and marked as ANNEXURE- "2" for identification forming part of this writ application.

15. That, it is stated that similar letters were also issued by the Panchayati Raj Department ,directing the concerned District Magistrate to ensure the payments of the employees ,who had come from the erstwhile Bihar State Marketing Board .

16. That, it is stated that pursuant to the orders of the Panchayati Raj Department , the District Magistrate ,Madhepura directed the Sub-Divisional Officer , Udakishanganj as also the concerned Block Development Officers to ensure the payment of arrears of salary to the employees who had come from the erstwhile Bihar State ~~Marketing~~^{Marketing} Board under letter no.1981 dated 25.08.2011.

A true photo stat copy of the letter no.1981 dated 25.08.2011 is annexed herewith and marked as

ANNEXURE- "3" for identification
forming part of this writ application.

17. That, it is stated that pursuant to the aforesaid order of the District Magistrate , Madhepura , the petitioner was paid only Rs.38,371/-.

18. That, it is stated that while the petitioner was posted as Panchayat Secretary in Udakishanganj Block , the Panchayati Raj Department relieved the petitioner for his joining to the Agriculture Department under letter no.7157 dated 17.10.2011 issued under the signature of the Joint Director- cum- Joint Secretary, Panchayati Raj Department .

A true photo stat copy of the letter no.7157 dated 17.10.2011 is annexed herewith and marked as ANNEXURE- "4" for identification forming part of this writ application.

19. That, it is pertinent to mention here that the Panchayati Raj Department relieved the petitioner for his joining to the Agriculture Department without making payment of single farthing of salary of the petitioner except the amount Rs.38,371/-.

20. That, it is stated that pursuant to the relieving letter issued by the Panchayati Raj Department, the petitioner submitted his joining before

the Joint Director, Agriculture Department , Koshi Division, Saharsa on 26.11.2011.

A true photo stat copy of the joining letter dated 26.11.2011 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- "5"** for identification forming part of this writ application.

21. That, it is stated that thereafter the Joint Director , Koshi Division , Saharsa posted the petitioner as Head Clerk in the office of Project Executive Officer, Rupauli Block ,District – Purnea and accordingly the petitioner submitted his joining in the office of Project Executive Officer, Rupauli on 19.12.2011 which was duly accepted by the Project Executive Officer, Rupauli.

22. That, it is stated that since the date of his joining in the office of Project Executive Officer, Rupauli ,the petitioner was discharging his duties with the best of his capacities and to the full satisfaction of the Authorities concerned but here also no single farthing was paid to the petitioner in want of Last Payment Certificate since the Panchayati Raj Department neither paid the salary of the petitioner nor issued Last Payment Certificate at the time of relieving of the petitioner for his joining to the Agriculture Department .

23. That, it is stated that after attaining the age of superannuation the petitioner superannuated from his post on 31.07.2012 while he was posted as Head Clerk in the office of Project Executive Officer, Rupauli.

24. That, it is stated that during his last four years of service either in the Panchayati Raj Department or in the Agriculture Department, the petitioner did not get any single farthing except Rs.38,371/- due to laches and inaction on the part of the Respondents though the petitioner was discharging his duties as assigned by the Respondents in the hope that the Respondents would pay his salary.

25. That, it is stated that the petitioner could survive his life or his family members after taking loan from the private persons as well as his well wisher with an assurance that when his payment of salary will be released then the same should be refunded but the Respondents could not take any pain for release of the salary of the petitioner.

26. That, it is stated that the petitioner filed series of representation before the Block Development Officer, Udakishanganj for payment of his salary on 02.10.2011, 10.11.2011 and 27.02.2012 etc. etc. but he did not take any response of the legitimate grievance of the petitioner.

True photo stat copies of the ^{representation} ~~ps~~ dated

02.10.2011, 10.11.2011 and

27.02.2012 are is annexed herewith

and marked as ANNEXURE- "6 series" for identification forming part of this writ application.

27. That, it is stated that the petitioner also filed representation before the District Magistrate, Madhepura on 24.07.2012 requesting therein for release of his salary but he also did not respond the claim of the petitioner .

A true photo stat copy of the representation dated 24.07.2012 is annexed herewith and marked as ANNEXURE- "7" for identification forming part of this writ application.

28. That, it is stated that after retirement ,the petitioner also filed representation before the Principal Secretary , Panchayati Raj Department and Agriculture Department on 25.08.2012 for release of his arrears of salary since he had already superannuated from the service on 31.07.2012 ,if the arrears of salary could not be paid ,then he will face irreparable loss in payment of his retiral dues .

True photo stat copies of the representations dated 25. 08.2012 filed representation before the Principal Secretary , Panchayati Raj

Department and Agriculture
Department are annexed herewith
and marked as ANNEXURE- "8" &
"8/1" for identification forming part
of this writ application

29. That, it is stated that the petitioner is facing hardship and his economical condition is very pitiable and due to non-payment of his salary ,the petitioner is spending his life as beggar.

30. That, in view of the aforesaid ,the Respondent Authorities may be directed to pay the arrears of salary with statutory as well as penal interest .

31. That, under the facts and circumstances stated hereinbefore the petitioners have got no other alternative or efficacious remedy except to move this Hon'ble High Court for vindication of their justified grievance.

32. That, the petitioners have not moved before this Hon'ble court earlier for the relief as sought for in the present writ application.

It is, therefore, most humbly prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application issue Rule NISI ,calling upon the Respondents to show-cause as to why this application be not admitted or disposed of at the

time of Admission Stage itself and on return of the Rules ,if no sufficient cause is shown, make the Rule absolute allow this application and after hearing the parties be further pleased to grant relief to the petitioner as sought vide paragraph No.1 of this writ application.

A N D / O R

Pass such other order or orders as Your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case .

And for this the petitioner shall ever pray.

A F F I D A V I T.

I, Kameshwar Singh , aged about-61 years, son of Late Yadubir Singh , Resident of village- Afaur East Tola , P.O. Afaur , P.S. Khaira, District – Saran at Chapra , the retired Head Clerk from the office of Project Executive Officer, Rupauli , Block – Rupauli ,District – Purnea, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That, I am petitioner in the present case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That, the contents of this application and affidavit have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood.
3. That, the statements made in paragraph Nos. 3 to 11, 13,15,17,19, 21 to 25 and 29 to 32 are true to my knowledge and those statements made in paragraph nos.12,14,16,18,20,26, 27 and 28 are information derived from the records of the case and rest are by way of submissions before this Hon'ble court which I believe to be true.
3. That, the annexures are true photo stat /typed copies of their respective original.

सेवा में

Annexure. 1

15

प्रत्यक्ष विकास परीक्षारी, उदाकिशुनगण

विषय :- पंचायत समिति के पदों में पंचायतों के संचालन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित किया है कि जिला पंचायत शाखा के माफिक 123/ पंचायत, मेवापुरा दिनांक 31.3.2009 के आदेश में आज दिनांक 03.04.09 के पुनरीक्षण के अन्तर्गत पंचायतों के संचालन के सम्बन्ध में।

अतः श्री जे. व. निवेदन है कि पंचायतों के संचालन को क्रिया-प्रदान को प्राप्त।

विशेषाज्ञापन-
दिनांक 10/4/09
03/04/09
पंचायत समिति

TYPED COPY

ANNEXURE- 1.

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज

विषय:- पंचायत सचिव के पद पर योगदान देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि जिला पंचायत शाखा के ज्ञापांक 123, पंचायत, मधेपुरा दिनांक 31.03.2009, के आलोक में आज दिनांक 03.04.09, के पूर्वाहन में अपना योगदान दे रहा हूँ।

अतः श्री मान् से निवेदन है कि योगदान स्वीकृत करने की कृपा प्रदान की जाय।

विश्वास भाजन

कामेश्वर सिंह

03.04.09

पंचायत सचिव

वरिय प्रभारी पदाधिकारी

साखा

पत्रांक - 44/स-1-108/2010, फं सं/ 1733

बिहार-सरकार

पंचायती राज विभाग

16



संयुक्त निदेशक -सह-संयुक्त सचिव

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

जिला पदाधिकारी

अररिया/पूर्णिया/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/भागलपुर/कटिहार/पटना/भोजपुर/
सीतामढी/जमुई/गया/बेगूसराय/नालन्दा/मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक 14-03-2011

विषय :-

कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-5661 दिनांक 02.09.2008 के आलोक में बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) एवं बाजार समितियों के कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या-6997/08, सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या-14062/08, सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या-14135/08, एम0 जे0 सी0 संख्या-1584/09, एम0 जे0 सी0 संख्या-1335/09 के आलोक में वेतन संरक्षण एवं बकाया वेतन आदि के संबंध में।

महाराय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-5661 दिनांक 20.02.2008 द्वारा बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) एवं बाजार समितियों के कर्मियों को सेवा का समायोजन हेतु उनकी सेवाएँ उपलब्ध कराई गई थी, जिन्हें विभागीय पत्रांक-5011 दिनांक 29.09.2008, पत्रांक 6360 दिनांक 19.12.2008 पत्रांक 6184 दिनांक 08.12.2008 पत्रांक 5424 दिनांक 23.12.2008 एवं पत्रांक 38 दिनांक 18.05.2009 द्वारा विभिन्न जिलों में पंचायत सचिव/पंचायत सेनाक के पद पर समायोजन हेतु पदस्थापित किया गया था।

बिहार सरकार कृषि विभाग के संकल्प संख्या-2834 दिनांक 17.05.2010 के द्वारा समायोजित कर्मियों का वेतन का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद के पत्रांक - 2297 दिनांक 01.12.2010, पत्रांक 2449 दिनांक 14.12.2010, पत्रांक 2498 दिनांक 20.12.2010, पत्रांक 2517 दिनांक 23.12.2010, पत्रांक 2547 दिनांक 27.12.2010 पत्रांक 2600 दिनांक 29.12.2010, पत्रांक 37 दिनांक 17.01.2010, पत्रांक 48 दिनांक 12.01.2010, पत्रांक 347 दिनांक 03.02.2011 एवं पत्रांक 2328 दिनांक 03.12.2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

कृषि विभाग के उपर्युक्त संकल्प के आलोक में विभागीय पत्रांक 1072 दिनांक 28.08.2010 द्वारा नियमानुसार भुगतान कर विभाग को सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया था।

पुनः कृषि विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2834 दिनांक 11.05.2010 के आलोक में समायोजित कर्मियों के अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद के पत्रांक - 2297 दिनांक 01.12.2010, पत्रांक 2449 दिनांक 14.12.2010, पत्रांक 2498 दिनांक 20.12.2010, पत्रांक 2517 दिनांक 23.12.2010, पत्रांक 2547 दिनांक 27.12.2010 पत्रांक 2600 दिनांक 29.12.2010, पत्रांक 37 दिनांक 17.01.2010, पत्रांक 48 दिनांक 12.01.2010, पत्रांक 347 दिनांक 03.02.2011 एवं पत्रांक 2328 दिनांक 03.12.2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

उपर्युक्त कर्मियों से संबंधित अंतिम वेतन, प्रमाण-पत्र मूल रूप में (कर्मियों की सूची के साथ) संलग्न करते हुए कहना है कि वेतन संरक्षण का लाभ एवं बकाया वेतन आदि का भुगतान नियमानुसार करने की कृपा की जाय।

विश्वारामभाजन,

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव
पंचायती राज विभाग बिहार, पटना।

RP 132070
16/3/11

TYPED COPY

ANNEXURE- 2.

पत्रांक - 4प/स-1-108/2010/पं० रा०/1733/

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

वरीय प्रभारी पदाधिकारी

शाखा.....

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी

अररिया/पूर्णिया/ सुपौल/ सहरसा/ मधेपुरा/ भागलपुरा/ कटिहार/ पटना/ भोजपुर/ सीतामढ़ी/ जमुई/ गया/ बेगूसराय/
नालन्दा/ मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक:- 14.03.2011

विषय:- कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या- 5661 दिनांक 02.09.2008, के आलोक में बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद 'विघटित' एवं बाजार समितियों के कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी० डब्लू० जे० सी० संख्या- 6997/08, सी० डब्लू० जे० सी० संख्या- 14062/08, सी० डब्लू० जे० सी० संख्या- 14135/08, एम० जे० सी० संख्या- 1584/09, एम० जे० सी० संख्या- 1335/09 के आलोक में वेतन संरक्षण एवं बकाया वेतन आदि के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या- 5661 दिनांक 20.02.2008, द्वारा बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद 'विघटित' एवं बाजार समितियों के कर्मियों की सेवा का समायोजन हेतु उनकी सेवायें उपलब्ध कराई गई थी, जिन्हें विभागीय पत्रांक- 5011 दिनांक 29.09.2008, पत्रांक 6360 दिनांक 19.12.2008, पत्रांक 6184 दिनांक 05.12.2008, पत्रांक 5424 दिनांक 23.10.2008, एवं पत्रांक 38 दिनांक 18.05.2009, द्वारा विभिन्न जिलों में पंचायत सचिव/ पंचायत सेवक के पद पर समायोजन हेतु पदस्थापित किया गया था।

बिहार सरकार कृषि विभाग के संकल्प संख्या- 2834 दिनांक 17.05.2010, के द्वारा समायोजित कर्मियों का वेतन का लाभ देने एवं बकाया वेतन आदि का भुगतान के लिए विस्तृत निर्गत किये गये हैं।

कृषि विभाग के उपर्युक्त संकल्प के आलोक में विभागीय पत्रांक 7072 दिनांक 28.08.2010, द्वारा नियामनुसार भुगतान कर दिनांक को सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया था।

पुनः कृषि विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या- 2834 दिनांक 11.05.2010, के आलोक में समायोजित कर्मियों के अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद के पत्रांक- 2794 दिनांक 01.12.2010, पत्रांक 2449 दिनांक 14.12.2010, पत्रांक 2498 दिनांक 20.12.2010, पत्रांक 2517 दिनांक 23.12.2010, पत्रांक 2547 दिनांक 27.12.2010, पत्रांक 2600 दिनांक 29.12.2010, पत्रांक 37 दिनांक 17.01.2010, पत्रांक 48 दिनांक 12.01.2010, पत्रांक 347 दिनांक 03.02.2011, एवं पत्रांक 2328 दिनांक 03.12.2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

उपर्युक्त कर्मियों से संबंधित अंतिम वेतन, प्रमाण-पत्र मूल रूप से 'कर्मियों की सूची के साथ' संलग्न करते हुए कहना है कि वेतन संरक्षण का लाभ एवं बकाया वेतन आदि का भुगतान नियमानुसार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

संयुक्त निदेशक - सह - संयुक्त सचिव

पंचायती राज विभाग बिहार, पटना।

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला पंचायत कार्यालय)

-: वेतार संवाद :-

को, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
 दूहरावें, अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।
 से, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।

वेतार संवाद संख्या./१६/...../ पं०, मधेपुरा दिनांक./१६/०८/...../२०११ (.) संदर्भ बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद(वि०) के कर्मियों के समायोजन से नियुक्ति के फलस्वरूप वेतन संरक्षण का लाभ देने तथा बकाया वेतन का भुगतान के संबंध में (.) प्रधान सचिव का पत्रांक- 5811, दिनांक- 24.08.2011 से बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (वि०) के कर्मियों के समायोजन के फलस्वरूप दिनांक- 26.08.2011 के बैठक में भाग लेने हेतु विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई है यथा:- 1. प्रखंड का नाम 2. कर्मचारी का नाम 3. तिथि 15.09.2008 से 28.02.2011 तक बकाया भुगतान की राशि की गणना 4. इसके विरुद्ध कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है 5. कितनी राशि बकाया है (कॉलम 3-4) 6. बचे हुए बकाया राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किया जाना संभव है या नहीं (.) 7. अगर संभव है तो कब भुगतान कर दिया जाएगा 8. अतिरिक्त आवंटन की आवश्यक है तो कितनी राशि का आवंटन आवश्यक है (.) जिदेश है कि 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध आवंटन से बकाया वेतन का भुगतान कर प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा सारी जवाबदेही आप पर होगी (.) ध्यान रहे कि मामला आवमानना वाद से संबंधित है (.)

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

निदेश :

तुरन्त।

जिला पं० एच० एच०
 मधेपुरा
 दिनांक 25/08/11

जिला पदाधिकारी,
 मधेपुरा

ज्ञापांक./१६/...../पं०, दिनांक./१६/०८/...../२०११

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से अधिनस्त प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिवेदन हेतु निदेश देना सुनिश्चित करें।

जिला पं० एच० एच०
 मधेपुरा
 दिनांक 25/08/11

जिला पदाधिकारी,
 मधेपुरा

समाहरणालय, मधेपुरा

जिला पंचायत कार्यालय

—वेतन संवाद—

को, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
दूहरावे, अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।
से, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।

वेतार संवाद संख्या 1981/ पं०, मधेपुरा दिनांक 25.08.2011 (.) संदर्भ बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद 'वि०' के कर्मियों के समायोजन से नियुक्ति के फलस्वरूप वेतन संरक्षण का लाभ देने तथा बकाया वेतन का भुगतान के संबंध में (.) प्रधान सचिव का पत्रांक— 5811, दिनांक— 24.08.2011, से बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद 'वि०' के कर्मियों के समायोजन के फलस्वरूप दिनांक— 26.08.2011, के बैठक में भाग लेने हेतु विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की माँग की गई है यथा:— 1. प्रखंड का नाम 2. कर्मचारी का नाम, 3. तिथि 15.09.2008, से 28.02.2011 तक बकाया भुगतान की राशि की गणना, 4. इसके विरुद्ध कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है 5. कितनी राशि बकाया है 'कॉलम 3 - 4' 6. बचे हुए बकाया राशि का भुगतान वितीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किया जाना संभव है या नहीं (.) 7. अगर संभव है तो कब भुगतान कर दिया जाएगा 8. अतिरिक्त आवंटन की आवश्यक है तो कितनी राशि का आवंटन आवश्यक है (.) निदेश है कि 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध आवंटन से बकाया वेतन का भुगतान कर प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा सारी जबाबदेही आप पर होगी (.) ध्यान रहे कि मामला आवमानना वाद से संबंधित है (.)

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

निदेश:

तुरन्त।

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक:— 1981 / पं०,

दिनांक 25.08.2011

प्रतिलिपि:— प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से अधिनस्त प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिवेदन हेतु निर्देश देना सुनिश्चित करें।

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा

जिला पं० राज० पदा०

मधेपुरा।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या:-4प/स-1-1014/2007/265 पटना, दिनांक 17/10/2011.
कृषि विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-6264 दिनांक-12.09.2011 द्वारा पंचायत सचिव के पद पर समायोजित कृषि विपणन पर्वद के कर्मियों को कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित किये जाने का निदेश निर्गत किया गया है।

(2) उपर्युक्त संकल्प के साथ संलग्न विवरणी-13 (अनुलग्नक-40) में उल्लिखित 113 कर्मियों को पत्र निर्गत के तिथि से विरमित करते हुए कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके नये पदस्थापन के स्थान पर योगदान करने हेतु निदेशित किया जाता है।

(3) कृषि विभाग के उक्त संकल्प की सूची में शामिल 1. श्री शमशुल हुदा, पंचायत सचिव, पटना 2. श्री कृष्ण कन्हैया राणा, पंचायत सचिव, भागलपुर का पंचायती राज विभाग में प्रतिनियुक्ति से संबंधित कार्यालय आदेश क्रमशः का0आ0स0-175 सह पठित ज्ञापांक-4561 दिनांक-28.06.2011 तथा कार्यालय आदेश संख्या-174 सह पठित ज्ञापांक-4559 दिनांक-28.06.2011 द्वारा की गयी प्रतिनियुक्ति आदेश को पत्र निर्गत की तिथि से समाप्त की जाती है एवं उन्हें मूल पदस्थापित स्थान क्रमशः पटना एवं भागलपुर से भी विरमित करते हुए कृषि विभाग के उपर्युक्त संकल्प में निर्धारित उनके नये पदस्थापन के स्थान पर योगदान करने हेतु निदेशित किया जाता है।

(4) यह उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग के उपर्युक्त संकल्प में उल्लिखित 1. श्री विनय कुमार झा, सुपौल, 2. श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अररिया 3. श्री मिथिलेश प्रसाद, अररिया 4. श्री अमरेन्द्र कुमार, पूर्णिया 5. श्री सत्य नारायण प्रसाद शर्मा, पूर्णिया 6. श्री राम राजा प्रसाद, पूर्णिया 7. श्री उमेश प्रसाद शर्मा, पूर्णिया 8. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (iii), भागलपुर 9. श्री संजीव कुमार (ii), भागलपुर 10. श्री भुपेन्द्र नारायण सिंह, नालन्दा को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-284 सह पठित ज्ञापांक-7156 दिनांक 17/10/2011 द्वारा विरमित करने का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

80/

ज्ञापांक:-4प/स-1-1014/2007/7157 संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा,
पटना, दिनांक 17/10/2011

सहरसा, बांका, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी), सुपौल, बक्सर, पटना, भोजपुर(आरा), नवादा, किशनगंज, समस्तीपुर, कटिहार एवं नालन्दा, को सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित कर्मियों को कृषि विभाग के उपर्युक्त संकल्प के आलोक में कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में इनके नये पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित की जाय तथा इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय।
कृषि विभाग के संकल्प संख्या-6264 दिनांक-12.09.2011 की प्रति संलग्न है।
अनुलग्नक-यथोक्त।

नाम सं 2161 / प्र. दिनांक 03/11/11

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- स.स. प्र. सं. 192/5510, मधेपुरा, काठिन, स.स. 8198 यम काँडाई ए.ए. प्रेषित/अनुदेश सं. 08/17/10/11

स.स. 2161/प्र. दिनांक 03/11/11 का अ.स. सुनिश्चित कर एवं -
स.स. 2161 काँडाई से अ.स. 2161/प्र. - जो अ.स. पटना सुनिश्चित

स.स. 2161/प्र. दिनांक 03/11/11
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या:- 4प/स-1-1014/2007/265,

पटना दिनांक 17.10.2011,

कृषि विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-6264 दिनांक 12.09.2011, द्वारा पंचायत सचिव के पद पर समायोजित कृषि पर्वद के कर्मियों को कृषि विभाग के क्षेत्रिय कार्यालय में पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित किये जाने का निदेश निर्गत किया गया है।

2. उपर्युक्त संकल्प के साथ संलग्न विवरणी- 13 'अनुलग्नक-40' में उल्लिखित 113 कर्मियों को पत्र निर्गत के तिथि से विरमित करते हुए कृषि विभाग के क्षेत्रिय कार्यालयों में उनके नये पदस्थापन के स्थान पर योगदान करने हेतु निदेशित किया जाता है।

3. कृषि विभाग के उक्त संकल्प की सूची में शामिल 1. श्री शमशुल हुदा, पंचायत सचिव, पटना, 2. श्री कृष्ण कन्हैया राणा, पंचायत सचिव, भागलपुर का पंचायती राज विभाग में प्रतिनियुक्ति से संबंधित कार्यालय आदेश क्रमशः का0 आ0 स0- 175 सह पठित ज्ञापांक- 4561 दिनांक 28.06.2011, तथा कार्यालय आदेश संख्या- 174 सह पठित ज्ञापांक- 4559 दिनांक 28.06.2011, द्वारा की गयी प्रतिनियुक्ति आदेश को पत्र निर्गत की तिथि से समाप्त की जाती है एवं उन्हें मूल पदस्थापित स्थान क्रमशः पटना एवं भागलपुर से भी विरमित करते हुए कृषि विभाग के उपर्युक्त संकल्प में निर्धारित उनके नये पदस्थापन के स्थान पर योगदान करने हेतु निदेशित किया जाता है।

4. यह उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग के उपर्युक्त संकल्प में उल्लिखित 1. श्री विनय कुमार झा, सुपौल, 2. श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अररिया, 3. श्री मिथिलेश प्रसाद, अररिया, 4. श्री अमरेन्द्र कुमार, पूर्णियां, 5. श्री सत्य नारायण प्रसाद शर्मा, पूर्णियां, 6. श्री राम राजा प्रसाद, पूर्णियां, 7. श्री उमेश प्रसाद शर्मा, पूर्णियां, 8. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, (iii). भागलपुर 9. श्री संजीव कुमार, (ii). भागलपुर, 10. श्री भुपेन्द्र नारायण सिंह, नालन्दा को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 264 सह पठित ज्ञापांक 7156 दिनांक 17.10.2011, द्वारा विरमित करने का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 4प/स-1-1014/2007/7157,

पटना दिनांक 17.10.2011,

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, बाँका, भागलपुर, पूर्वी चम्पराण 'मोतिहारी', सुपौल बक्सर, पटना, भोजपुर 'आरा', नवादा, किशनगंज, के आलोक में कृषि विभाग के क्षेत्रिय कार्यालयों में इनके नये पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित की जाय तथा इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय।

कृषि विभाग के संकल्प संख्या- 6264 दिनांक- 12.09.2011, की प्रति संलग्न है।

अनुलग्नक- यथोक्त।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2161,

पटना दिनांक 03.11.2011,

प्रतिलिपि:- सभी प्र0 वि0 पदा0 मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र में 17.1.11, दिए गए निर्देश के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं दी गई कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करना सुनिश्चित करें।

खंड ५ कृषि विभाग, कोशी प्रमंडल, राहरसा

विषय:- प्रधान लिपिक के पद पर भोजवान के संबंध में
सहाय्य

उपरोक्त विभाग खंड ५ कृषि विभाग राहरसा -
सचिव पंचगती राज विभाग पटना का फॉक - ३१५३
दिनांक - १३/१०/११ एवं जिला पंचगती राज पदाधिकारी,
मधेपुरा का फॉक - २१६१ (पं) दिनांक - ०३/११/११
एवं प्रमुख विकास पदाधिकारी उदाकिशुगंज
का फॉक - ११५० दिनांक - २५/११/२०११ के अनुपालन
में मैं श्री कामेश्वर सिंह प्रधान लिपिक के पद पर
आज दिनांक - २६/११/२०११ के प्रदर्शन में अपना
भोजवान दे रहा हूँ।

अतः मैं प्रार्थना है निवेदन हो कि
मेरा भोजवान स्वीकृत करने की कृपा की
जाय।

अनुसूचक - (५) राहरसा

विश्वरूप भाजन
कामेश्वर सिंह
२६/११/११
प्रधान लिपिक

सेवा में,

संयुक्त कृषि निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा

विषय:- प्रधान लिपिक के पद पर योगदान के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त निदेशक सह-सचिव पंचायती राज विभाग पटना का पत्रांक 7157, दिनांक 17.10.11, एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधेपुरा का ज्ञापांक 2161 'पं' दिनांक 03.11.11, एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी उदाकिशुनगंज का ज्ञापांक 1140, दिनांक 24.11.2011, के अनुपालन में मैं कामेश्वर सिंह, प्रधान लिपिक के पद पर आज दिनांक 26.11.2011, के पूर्वाहन में अपना योगदान दे रहा हूँ।

अतः श्री मान् से निवेदन है कि मेरा योगदान स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विश्वास भाजन

कामेश्वर सिंह

26.11.11

प्रधान लिपिक

अनुलग्नक- '7' सात।

संवा ३

Annexure - 6

१०

प्रत्येक विकास पदाधिकारी

उपस्थित सुग २०१७

विषय - विरही कले एवं वकालत क्षेत्र: या सुगान अने न
संबंध: के ।

पदाधार

उपरोक्त विषय के संबंध में कक्षा है कि जिला-
पंचायत राज पदाधिकारी संवेक्षण के बापत २।६।१७
०३/११/११ के द्वारा सक्षम विरही कले या आदेश दिना
०७/११/११

अतः यी मायु है विवेक है कि उपरोक्त पत्र के
आधार में पदाधारण प्राप्त या पत्रान देन हेतु विरही
कले की कक्षा प्रदान की जाय १७ वकालत क्षेत्र सुगान अने
की उक्त प्रदान की जाय। उक्त उल्लेखनीय है कि नर पाठ्य
इतिहास प्रकार अ प्रकार नही है

अनुसूचक - १ (एन) सापके २।६
दि ०३/११/११

विश्वरूप मोहन
सापके २।६
१०/११/११
पंचायत समित्य
उपस्थित सुग २०१७

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज

विषय:- विरमित करने एवं बकाया वेतन का भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी मधेपुरा के ज्ञापांक 2161 दि० 03.11.2011, के द्वारा ससमय विरमित करने का आदेश दिया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त पत्र के आलोक में पदास्थापन स्थान पर योगदान देने हेतु विरमित करने की कृपा प्रदान की जाय एवं बकाया वेतन भुगतान करने की कृपा प्रदान की जाय। यह उल्लेखनीय है कि मेरे उपर किसी प्रकार का प्रभार नहीं है।

अनुलग्नक:- 1 'एक' ज्ञापांक 216 दिनांक 03.11.11,

विश्वास भाजन

कामेश्वर सिंह

10.11.11

पंचायत सचिव

उदाकिशुनगंज

संख्या ३

(Sense)

(91)

प्रखण्ड विकास परामर्शदात्री
उदाकिसुत गंडा

विषय:- बकाया बिल का मुआवजा करने के संबंध में।

प्रमाण

उपरोक्त विषय के संबंध में देना है कि विद्युत सारकार के
पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक 265 दिनांक 17.10.2008
के द्वारा विभाग के कृषि कार्यालय सिद्धा में नर्स प्रस्तापन
के प्रमाण पत्र प्रमाणित करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। पत्र क्रमांक 62-09-2008 से प्रमाणित है।

अतः यही तथ्य है कि बकाया बिल का मुआवजा
करा जा रहा है। कृषि विभाग की कार्यवाही आदेश क्रमांक
265 दिनांक 17.10.2008 के द्वारा विभाग के कार्यालय
सिद्धा में नर्स प्रस्तापन के प्रमाण पत्र प्रमाणित करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। पत्र क्रमांक 62-09-2008 से प्रमाणित है।

अनुलग्नक - पंचायती राज पत्र
कृषि विभाग का कार्यालय सिद्धा।
- 11 (अपरेट) पटना

विशाल भांडार
मैनेजर सिद्धा
21.10.11
पंचायत सचिव
उदाकिसुत गंडा

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज

विषय:- बकाया वेतन भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 265 दि० 17.10.2011, के द्वारा कृषि विभाग के क्षेत्रिय कार्यालय सहरसा में नये पदस्थापन के स्थान पर योगदान करने हेतु निर्देशित किया गया है। यह उल्लेखनीय है में वेतन 02.09.2008, से बकाया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि बकाया वेतन का भुगतान करने एवं विरमित करने की कृपा प्रदान की जाय। इस आवेदन के साथ पंचायती राज का कार्यालय आदेश एवं कृषि विभाग का संकल्प एवं सूचि संलग्न है सूचि में क्रमांक 65 पर मेरा नाम अंकित है।

अनुलग्नक:-

पंचायती राज एवं कृषि विभाग का संकल्प
एवं सूचि। - 11 'ग्यारह' पन्ना

विश्वास भाजन
कामेश्वर सिंह
10.11.11
पंचायत सचिव
उदाकिशुनगंज

सेवा से

(Seize)

229

प्रवर्धन विकास परिषद

अतिरिक्त (नया पुस्त)

विषय: - आन्तरिक वित्त प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्त में डाने के संबंध में।

प्रमाण,

उपरोक्त विषय के संबंध में कदम है कि मेरा आन्तरिक वित्त प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्त के अभाव में मुझे परिवर्तन कार्यालय रखा गया है वित्त का गुणवत्ता नहीं मिला जा रहा है। इसी वजह से मैं उल्लेखीय है कि पंचायती राज (नया पुस्त) के द्वारा प्रवर्धन परिषद अतिरिक्त वित्त के मेरा पदावधि पंचायत सचिव के पद पर किया गया था जो आदेशानुसार मेरे मातृका प्रवर्धन परिषद अतिरिक्त वित्त में किया था दिनांक 02.09.08 से 24.11.2011 तक का मेरा वित्त का गुणवत्ता नहीं हुआ है।

अतः यही मांग है अतुल्य है कि उपरोक्त विषय का मेरा वित्त वित्त का गुणवत्ता करने एवं आन्तरिक वित्त प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्त उपलब्ध करने की कृपा किया जाए ताकि मेरा वित्त गुणवत्ता हो सके। मेरा वित्त लम्बे समय से चलने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

दिखाया गया -
जोड़ने के लिए
27/02/2012
प्रमाण पत्र

परिभाषा अतिरिक्त
रखा गया, प्रमाण

नहीं INSURED 99

कमोर्क No. 2335

मूल्य 50

प्राप्त किया

तारीख 25/4/12

Date Stamp

B.D.O. Vela kishunpur
 Register
 dated 25/4/12
 8.140.00 - 2738
 dated 25/4/12

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज

विषय:— अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्त भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरा अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्त के अभाव में मुझे परियोजना कार्यालय रूपौली से वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही यह उल्लेखनीय है कि पंचायती राज 'मधेपुरा' के द्वारा प्रखण्ड कार्यालय उदाकिशुनगंज में मेरा पदस्थापन पंचायत सचिव के पद पर किया गया था तथा आदेशानुसार मैंने योगदान प्रखण्ड कार्यालय उदाकिशुनगंज में किया था। दिनांक 02.09.08 से 24.11.2011, तक का मेरा वेतनादि का भुगतान नहीं हुआ है।

अतः श्री मान् से अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि का मेरा बकाया वेतनादि का भुगतान करने एवं अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सेवा पुस्त उपलब्ध कराने की कृपा किया जाय ताकि मेरा वेतन भुगतान हो सके। मेरा वेतन लम्बित रहने के चलते आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

विश्वास भाजन

कामेश्वर सिंह

27.02.2012

प्रधान लिपिक

परियोजना कार्यालय रूपौली, पूर्णियां

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा

विषय:- बकाया वेतनादि के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग:- पंचायती राज विभाग पटना के 7072 दि० 24.08.2010,

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं बजार समिति के विघटन के बाद मेरे सेवा का समायोजन पंचायती राज में पंचायत सचिव के रूप में हुआ था। आपके कार्यालय के पत्रांक- दिनांक - द्वारा मेरा पदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय उदाकिशुनगंज में हुआ था। किन्तु मेरे वेतन का भुगतान नई नियुक्ति मान कर किया जा रहा था। विपणन पर्षद 'विघटित' कर्मियों के द्वारा इस निति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया गया था जिसमें समायोजन की तिथि 02.09.2008, से वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए बकाया वेतनादि के भुगतान का आदेश हुआ था। किन्तु सरकार की ओर से अनुपालन न होने की स्थिति में अवमानना याचिका दायर की गयी थी जिसके आलोक में सरकार द्वारा "समादेश याचिका से उत्पन्न अवमानना वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पाड़ित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद 'विघटित' के समायोजित पंचायत सचिव के वेतन के संरक्षण का लाभ देते हुए बकाया वेतनादि का भुगतान का आदेश पारित हुआ था। प्रासंगिक द्वारा भुगतानार्थ मार्गदर्शन दिया गया था किन्तु मेरे पदस्थापन काल में मात्र पाँच माह का वेतन बिना वेतन संरक्षण का दिया गया। मैं उदाकिशुनगंज में दिनांक से तक पदस्थापित रहा हूँ। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी महोदय एवं संबंधित कार्यालय से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनेकों वार अनुरोध किया, किन्तु मेरी बातों को अनसुनी करते रहे फलतः आज तक मेरे वेतन संरक्षण से संबंधित बकाया वेतनादि का भुगतान नहीं हुआ है।

अतः आप से अनुरोध है कि मेरे बकाया वेतनादि का भुगतान प्रखण्ड कार्यालय उदाकिशुनगंज से कराने की कृपा प्रदान की जाय।

अनुलग्नक:-

सुलभ अवलोकनार्थ प्रासंगिक पत्र संलग्न-1

विश्वास भाजन

कामेश्वर सिंह

27.07.2012

प्रधान सहायक

परि० कार्यपालक पदाधिकारी, रूपौली, पूर्णियां

24

पुस्तक :- पुस्तक विकास परियोजना, उदयपुर जिला का सुभाष चन्द्र बोस

अनुसूचित जाति
प्रधान उपनिदेशक
श्री अरवि चंद्र प्रसाद
राज्यपाल, पुणे

SF PURNA HD (354301)
EESOLZ82571 IN
Counter No:2, CP-Code:SKSIN
To:THE B D M,MAHEPURA
MAHEPURA, PIN:832113
From:K SINGH, PURNA
Wt:25grams



FS:5.00,Amt:20.00, 21/07/2012, 14:06
Taxes:Rs.2.36<Track on www.indiapost.gov.in>

F:
De

Taxes:Rs.2.36<Track on www.indiapost.gov.in>

SF PURNA HD (354301)
EESOLZ82695 IN
Counter No:2, CP-Code:SKSIN
To:THE B D G,UDAKTANWASARI
MAHEPURA, PIN:832113
From:K SINGH, PURNA
Wt:25grams



FS:5.00,Amt:20.00, 21/07/2012, 14:07
Taxes:Rs.2.36<Track on www.indiapost.gov.in>

प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

कामेश्वर सिंह

प्रधान सहायक

परियोजना कार्यालय रूपौली, पूर्णियां

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार परण

विषय:- कृषि क्षेत्र का सुधार के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचना है कि मैं आपके पत्रांक 6264 दिनांक 12.9.2011 के अनुपालन में दिनांक 26.11.2011 को प्रधान सचिव श्री पदम गोयल के माध्यम से संज्ञित कृषि विभाग की प्रमुख सहायिका के पत्रांक 1234 दिनांक 10.12.2011 के अनुपालन में दिनांक 19.12.2011 को परिभाषित कार्यपालक पदाधिकारी संपौली, सुपौल के अधिन स्थापित किए गए हैं दिनांक 31.7.2012 को सेवा विपुल से जाया है। अभी तक सेवा क्षेत्र का सुधार का कार्यपालक पदाधिकारी संपौली से नहीं किया जाया है।

अतः श्री गोयल के निर्देश है कि दिनांक 25.11.2011 से 31.7.2012 तक का सेवा क्षेत्र का सुधार कार्य को समाप्त की जाए, केवल सुधार के अर्थ ही सेवा विपुल का नाम सेवा क्षेत्र।

इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।

विभागाध्यक्ष
 25/11/2011
 मुख्य प्रधान सचिव
 परिभाषित कार्यपालक पदाधिकारी
 संपौली, सुपौल

सेवा में,

प्रधान सचिव

कृषि विभाग बिहार, पटना

विषय:- बकाया वेतन भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं आपके पत्रांक 6264 दिनांक 12.09.2011, के अनुपालन में मैं दिनांक 26.11.2011, को प्रधान सहायक के पद पर योगदान दिया था। संयुक्त कृषि निदेशक कोशी प्रमंडल सहरसा के पत्रांक 1234 दिनांक 10.12.2011, के अनुपालन में मैं दिनांक 19.12.2011, को परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी रूपौली, पूर्णियां के अधिन योगदान दिया था। मैं दिनांक 31.07.2012, को सेवा निवृत्त हो गया हूँ। अभी तक मेरा वेतन का भुगतान कार्यपालक पदाधिकारी रूपौली से नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दिनांक 25.11.11, से 31.07.2012, तक का वेतन का भुगतान कराने की कृपा की जाय, वेतन भुगतान के बाद ही मेरा सेवा निवृत्ति का लाभ मिल सकेगा।

इसके लिए मैं आपका अभारी रहूँगा।

विश्वास भाजन

कामेश्वर सिंह

25.08.2012

भूतपूर्व प्रधान सहायक

परियोजना कार्यालय रूपौली, पूर्णियां

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा

विषय:- बकाया वेतन भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके पत्रांक 5011 दिनांक 29.09.2008, के अनुपालन में दिनांक 13.10.2008, को जिला पदाधिकारी मधेपुरा के अधिन पंचायत सचिव के पद पर योगदान किया था। मैं 13.10.2008, से 24.11.2011, तक मधेपुरा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के अधिन रहा हूँ। मैं दिनांक 31.07.2008, को सेवा निवृत्त हो चुका हूँ। मेरा वेतन सरकार के आदेशानुसार 02.09.2008, से 24.11.2011, तक मधेपुरा से भुगतान होना है परन्तु अभी तक मेरा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः श्री मान् से निवेदन है कि मैं सेवा निवृत्त हो चुका हूँ मेरा उपरोक्त अवधि 02.09.2008 से 24.11.2011, तक वेतन का भुगतान करने की कृपा की जाय। साथ ही साथ अनुरोध है कि वेतन भुगतान के पश्चात मेरा अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी रूपौली पूर्णियां को भेजने की कृपा की जाय।

विश्वास भाजन

कामेश्वर सिंह

25.08.2012

भूतपूर्व प्रधान सहायक

परियोजना कार्यालय रूपौली, पूर्णिया